प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI – 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 10.02.2026

सार्वजनिक सूचना सं. 74/2025-26

विषय: कार्गो के परीक्षण हेतु प्रणाली-आधारित ई-शेड्यूलिंग की शुरुआत तथा आयात कार्गो के परीक्षण के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) का अनिवार्य उपयोग।

आयातकों, सीमा शुल्क अभिकर्ताओं तथा सभी अन्य हितधारकों का ध्यान वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) के परिपत्र संख्या 07/2026 - कस्टम्स दिनांक 01.02.2026 एवं परिपत्र संख्या 07/2022 - कस्टम्स दिनांक 07.03.2023 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. CBIC के परिपत्र संख्या 07/2022 - कस्टम्स, जो फा.सं. 450/33/2022-Cus. IV दिनांक 07 मार्च, 2023 द्वारा जारी किया गया, में समुद्री सीमा शुल्क कार्यों के संदर्भ में जहाजों पर बोर्डिंग अधिकारियों द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) से युक्त बोर्डिंग जैकेट के उपयोग का प्रावधान किया गया है, ताकि सीमा शुल्क औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं का सुचारु रूप से प्रारंभ एवं संचालन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30 दिसंबर 2025 को निर्देश संख्या 34/2025 - कस्टम्स जारी किया गया, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों से प्रत्यक्ष संपर्क रखने वाले वर्दीधारी अधिकारियों हेतु पारदर्शिता, जवाबदेही एवं व्यावसायिकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से युक्त बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) धारण करना अनिवार्य किया गया। साथ ही, परिपत्र संख्या 10/2024 - कस्टम्स दिनांक 20.08.2024 के माध्यम से ICETAB का उपयोग करते हुए आयात खेपों के परीक्षण की छवियों को वास्तविक समय में अपलोड कर पेपरलेस एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए। उक्त परिपत्रों का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करना है।

3. Customs Act, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं की निकासी हेतु बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने का प्रावधान है। आगे, उक्त अधिनियम की धारा 17 में स्व-मूल्यांकन (Self Assessment) संबंधी प्रावधान निहित हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार सत्यापन एवं परीक्षण (Verification and Examination) सम्मिलित है, तथा वस्तुओं का चयन मुख्यतः जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। परीक्षण हेतु चयनित कार्गो को सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए परीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में परीक्षण प्रक्रिया के समयबद्ध संपादन एवं परीक्षण की विधि का डिजिटल परिवेश में अभिलेखीकरण नहीं हो रहा है। अतः परीक्षण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाने, ऑडिट ट्रेल निर्मित करने तथा विवादों को न्यूनतम करने के साथ-साथ व्यापार सुगमता को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने आयात कार्गो के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित दो नवीन उपाय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है–

(क) आयातित वस्तुओं के भौतिक परीक्षण के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) का उपयोग।

(ख) आयातित वस्तुओं के भौतिक परीक्षण की समय-निर्धारण (E-Scheduling of Cargo Examination) हेतु ICEGATE 2.0 पर प्रणाली-आधारित परीक्षा आवेदन (System-based Examination Application) की शुरुआत।

4. कार्गो परीक्षण के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) का उपयोग

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आयात में परीक्षण हेतु चयनित कार्गो के भौतिक परीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) का उपयोग किया जाएगा। यह सुविधा 01.04.2026 तक सभी कस्टम संरचनाओं में, जहाँ वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है, लागू की जाएगी। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है–

i. परीक्षण की प्रक्रिया का रिकॉर्डिंग पैकेजों या कंटेनरों को खोलने से पूर्व चरण से प्रारंभ किया जाएगा और परीक्षण की पूर्णता तक जारी रहेगा। रिकॉर्डिंग में वस्तुओं का परीक्षण तथा आयातक, कस्टम ब्रोकर या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ हुई बातचीत सम्मिलित होनी चाहिए।

ii. रिकॉर्डिंग में परीक्षण के सभी महत्वपूर्ण चरण शामिल होने चाहिए, जिनमें सीलों की स्थिति, पैकेजों या कंटेनरों का खोलना, वस्तुओं के विवरण एवं मात्रा का सत्यापन तथा आवश्यकता अनुसार नमूना लेना सम्मिलित है। यदि रिकॉर्डिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उसका कारण सहित अभिलेखन किया जाएगा।

iii. BWC की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा तथा 2 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा। जिन मामलों में जांच, विवाद या वाद-विवाद (विधिक कार्यवाही) शामिल है, उन मामलों में रिकॉर्डिंग को कार्यवाही के अंतिम निपटान तक संरक्षित रखा जाएगा।

5. कार्गो परीक्षण का ई-शेड्यूलिंग (E-Scheduling of Cargo Examination)

ICEGATE 2.0 पर आयातित वस्तुओं के भौतिक परीक्षण के शेड्यूल निर्धारण हेतु प्रणाली-आधारित परीक्षण आवेदन (कार्गो परीक्षण का ई-शेड्यूलिंग) एक व्यापार सुविधा उपाय है, जिसका उद्देश्य परीक्षण हेतु चयनित कार्गो की प्रक्रिया में अधिक दक्षता एवं सुनिश्चितता लाना है। यह आयातकों/IEC धारकों तथा अधिकृत कस्टम ब्रोकरों को ICEGATE के माध्यम से पंजीकृत वस्तुओं के परीक्षण का इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेड्यूल निर्धारण, अवलोकन तथा पुनः शेड्यूलिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, संबंधित अधिकारी, आयातक, कस्टम ब्रोकर एवं कस्टोडियन को प्रणाली द्वारा स्वचालित सूचना प्रेषित की जाती है। इस सुविधा का पायलट आधार पर ICD Tughlakabad में परीक्षण किया गया था तथा अब इसे चरणबद्ध तरीके से सभी कस्टम संरचनाओं में विस्तारित किया जा रहा है।

i. ई-शेड्यूलिंग सुविधा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

a. परीक्षण स्लॉट प्रणाली द्वारा उपलब्धता के आधार पर स्वचालित रूप से परीक्षण अधिकारी को आवंटित किए जाते हैं, जिससे अनिश्चितता एवं अनावश्यक विलंब में कमी आती है।

b. व्यापार समुदाय लंबित, निर्धारित एवं पूर्ण किए गए परीक्षणों की स्थिति ऑनलाइन देख सकता है।

c. आवश्यकता होने पर परीक्षण का पुनः शेड्यूल निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है, जिसकी सूचना प्रणाली द्वारा संबंधित अधिकारी, आयातक, कस्टम ब्रोकर एवं कस्टोडियन को स्वतः प्रेषित की जाती है।

d. स्वचालित सूचना के आधार पर कस्टोडियन परीक्षण क्षेत्र में वस्तुओं की पूर्व-स्थापना की योजना बना सकते हैं, जिससे कार्गो हैंडलिंग अधिक सुगम होती है।

ii. ई-शेड्यूलिंग सुविधा पारदर्शी एवं नियम-आधारित तरीके से संचालित होती है, जिसमें प्रणाली-जनित ऑडिट ट्रेल एवं परीक्षण की स्थिति की स्पष्ट दृश्यता उपलब्ध रहती है।

iii. परीक्षण का पुनः शेड्यूल निर्धारण, परीक्षण को होल्ड पर रखना अथवा शेड्यूल से हटाना केवल प्रभारी सहायक आयुक्त/उप आयुक्त द्वारा ही अनुमन्य होगा, और वह भी कारणों के विधिवत अभिलेखन एवं औचित्य सहित।

6. मुंबई में एयर कार्गो परीक्षण के लिए बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) का उपयोग 01.04.2026 तक अथवा उससे पूर्व लागू किया जाएगा।

7. कार्गो परीक्षण की ई-शेड्यूलिंग हेतु आवेदन के संबंध में व्यापार के लिए विस्तृत परामर्श (Advisory) DG Systems द्वारा पृथक रूप से जारी किया जाएगा तथा इसका पूर्ण कार्यान्वयन 01.04.2026 तक किया जाएगा।

8. इस सुविधा के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो उसे अतिरिक्त आयुक्त, सीमा शुल्क, तकनीकी (आयात), ए.सी.सी., मुंबई के संज्ञान में ईमेल pro.acc-sahar@gov.in पर लाया जा सकता है। सहायता, स्पष्टीकरण अथवा जानकारी के लिए संबंधित आयातक हमारे हेल्प डेस्क, टीएसके (तुरंत सुविधा केंद्र) से ईमेल tsk.accmumbaizone3@gov.in अथवा दूरभाष 022-26816696 पर संपर्क कर सकते हैं।

मनीष चन्द्रा

(मनीष चन्द्रा)
प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (आयात),
हवाई माल परिसर, मुंबई।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई सीमा शुल्क ज़ोन -III, मुंबई.
2. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
3. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), हवाई माल परिसर, मुंबई
4. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
5. सभी उपायुक्त/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), हवाई माल परिसर, मुंबई
6. व्यापार संघ
7. CB संघ (BCBA)
8. MIAL/एयर इंडिया
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अद्यतन के लिए)
10. कार्यालय प्रतिलिपि